राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4 (236) वित्त–1 (1) आ.व्यय/2010/ जयपुर, दिनांकः 03/03/2012

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या– 674/2011–12)

विषयः–जनता जल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 184 (2) ले.ब./परावि/जनता जल योजना/11–12/6253 दिनांक 28.02.2012 में अंकित शर्तो एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 164.98 लाख (अक्षरे राशि रु. एक सौ चौसठ लाख अठयानवें हजार) मात्र निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावेः–

–ःव्यय निम्नानुसार विकलेय हैः–

मांग संख्या–41 (राशि लाखों में)

बजट मद

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(09)–तदर्थ सहायता	
[03]- जनता जल योजनान्तर्गत संधारण	164.98
12–सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)	

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(सुधीर शर्मा)
शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, (संबंधित) राजस्थान।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव, वित्त (बजट)